

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2021-चैत्र-05, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम नीतू पुत्री मुन्नालाल, निवासी-तेजगढ़, जिला दमोह है. मेरा विवाह श्री राजेन्द्र कुमार (हलवा) निवासी-ए-44, आनन्द नगर, बहोड़ापुर, ग्वालियर से हो जाने के कारण मेरा नाम नीतू हलवा (Neetoo Halva, Neetu Halwa) पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार (हलवा) Rajendra Kumar (Halva) (Halwa) (Halba) हो गया है. तदानुसार मेरे विभिन्न शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है, जिसके स्थान पर मैं अपना नाम नीतू बांगरे (Neetu Bangre) पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार (हलवा) Rajendra Kumar (Halba) कराना चाहती हूँ.

भविष्य में मुझे नीतू बांगरे (Neetu Bangre) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

(नीतू हलवा)

(NEETOO HALVA, NEETU HALWA)

पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार (हलवा)

Rajendra Kumar (Halva) (Halwa) (Halba)

(852-बी.)

नया नाम

(नीतू बांगरे)

(NEETU BANGRE)

पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार (हलवा)

Rajendra Kumar (Halba)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम ज्योति पटेल यादव पत्नी श्री नंद किशोर यादव निवासी ग्राम पोस्ट संदलपुर, तहसील खातेगांव, जिला देवास घोषणा करती हूँ कि शादी से पहले मेरा नाम कु. ज्योति पटेल पुत्री श्री हरिकिशन पटेल था एवं शादी के उपरांत मेरा नाम ज्योति पटेल यादव है. अतः मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(ज्योति पटेल)

(849-बी.)

नया नाम :

(ज्योति पटेल यादव)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश कुमार शर्मा पिता का नाम श्री जगराम शर्मा निवासी ग्राम सिसौनिया, तहसील गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरी समस्त आई.डी. दिनेश कुमार शर्मा के नाम से हैं और मैं वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता/कार्य/निर्माण के पद से उत्तर मध्य रेलवे झांसी से दिनांक 31-10-2019 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ मेरा पूर्व में (बचपन में) रामसिंह पिता का नाम श्री जगराम शर्मा के नाम से पुकारा जाता रहा है. पता-निवासी सिसौनिया, तहसील गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश. अतः दोनों नाम एक ही हैं. यह कि दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जगराम शर्मा व रामसिंह पुत्र श्री जगराम शर्मा दोनों ही नाम मेरे हैं.

पुराना नाम
(रामसिंह)

(850-बी.)

नया नाम
(दिनेश कुमार शर्मा)

पुत्र श्री जगराम शर्मा,
निवासी- ग्राम सिसौनिया, तहसील गोहद,
जिला भिण्ड (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है. कि मेरा नाम नरेन्द्र पिता राम राव अवारे मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में अंकित है जो कि वास्तविक व सही नाम है. परंतु मेरे अन्य दस्तावेजों व मेरे पुत्र संदीप व उल्हास के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम नरेन्द्र राव व उपनाम पाटिल अंकित है. उक्त नाम नरेन्द्र व नरेन्द्र राव व उपनाम अवारे व पाटिल दोनों मेरे ही हैं किसी अन्य व्यक्ति के नहीं हैं. मैंने मेरा नाम परिवर्तन करके नरेन्द्र राव अवारे पिता राम राव अवारे कर लिया है एवं मैं, वर्तमान में इसी नाम व उपनाम से जाना व पहचाना जाता हूँ सो विदित हो.

पुराना नाम :
(नरेन्द्र व नरेन्द्र राव पाटिल)

(851-बी.)

नया नाम :
(नरेन्द्र राव अवारे)

निवासी-1205/31, नन्दानगर,
इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मनोरमा अग्रवाल पत्नी स्व. श्री किशोर अग्रवाल सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ मेरे विवाह से पूर्व का नाम मनोरमा गर्ग पुत्री स्व. श्री चंद्रमोहन गर्ग था. मेरा विवाह श्री किशोर अग्रवाल के साथ हो जाने से विवाह पश्चात् मेरा नाम मनोरमा अग्रवाल पत्नी श्री किशोर अग्रवाल हो गया था. वर्तमान में मुझे मनोरमा अग्रवाल पत्नी स्व. श्री किशोर अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और भविष्य में भी मैं, इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूंगी, मनोरमा गर्ग एवं मनोरमा अग्रवाल मेरे ही नाम हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(मनोरमा गर्ग)

(818-बी.)

नया नाम :
(मनोरमा अग्रवाल)

पत्नी-स्व. श्री किशोर अग्रवाल,
पता-मोहर की गली हुजरात का पुल,
नया बाजार गिर्द लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रीति एरन सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह का पूर्व का नाम प्रतिमा गर्ग पुत्री श्री प्रहलाद चंद गर्ग है जो मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है मेरा विवाह हिन्दू रिती-रिवाज से श्री पवन एरन के साथ हो गया है विवाह उपरांत मेरा नाम प्रीति एरन पत्नी श्री पवन एरन से हो गया है. वर्तमान में प्रीति एरन पत्नी श्री पवन एरन के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं भविष्य में भी मैं, इसी नाम प्रीति एरन पत्नी श्री पवन एरन के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूंगी. अतः मेरे शैक्षणिक, शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम प्रतिमा गर्ग पुत्री श्री प्रहलाद चंद गर्ग के स्थान पर प्रीति एरन पत्नी श्री पवन एरन लिखा एवं पढ़ा जाये एवं आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(प्रतिमा गर्ग)
पुत्री श्री प्रहलाद चंद गर्ग

(828-बी.)

नया नाम :
(प्रीति एरन)
पत्नी-श्री पवन एरन,
पता-असियाना भवन, हनुमान टॉकीज के पास,
ईदगाह कम्पू, गिर्द, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सुहानी जाटव पुत्री श्री पप्पू जाटव सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम रेनू जाटव था जो मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान में मुझे सुहानी जाटव पुत्री श्री पप्पू जाटव के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रमाण प्रपत्रों जैसे आधार कार्ड और जाति प्रमाण-पत्र में मेरा नाम सुहानी जाटव अंकित है एवं भविष्य में, सुहानी जाटव के नाम से जानी, पहचानी, एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(रेनू जाटव)

(829-बी.)

नया नाम :

(सुहानी जाटव)

पुत्री-श्री पप्पू जाटव,
पता-नवग्रह कॉलोनी विभाग नं. 1
गोल पहाड़िया गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, अमित कुमार सोनकर पिता श्री लक्ष्मीनारायण सोनकर उम्र 36 वर्ष, निवासी-न्यू पी.पी. कॉलोनी, गवारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र.). मेरे समस्त शैक्षणिक, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में एवं परिचय-पत्रों में मेरा नाम अमित कुमार सोनकर दर्ज है. मैं, अपना सरनेम परिवर्तन सोनकर के स्थान पर वर्मा करना चाहता हूँ एवं वर्तमान और भविष्य में मेरे सरनेम सोनकर की जगह वर्मा सरनेम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा लिखा जाये.

पुराना नाम :

(अमित कुमार सोनकर)

(815-बी.)

नया नाम :

(अमित कुमार वर्मा)

पिता-श्री लक्ष्मीनारायण सोनकर,
निवासी-न्यू पी.पी. कॉलोनी, गवारीघाट रोड,
जबलपुर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम आयुष (Ayush) था. जिसे मेरे द्वारा बदलकर आयुष पटेल (Ayush Patel) रख दिया है तथा अब मेरे पुत्र को आयुष (Ayush) के स्थान पर आयुष पटेल (Ayush Patel) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

(831-बी.)

भगवानसिंह पटेल,

पता-ग्राम भुतिया बुजुर्ग तह.,
टोंकखुर्द, जिला देवास (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सुनीता (Sunita) था. जिसे मेरे द्वारा बदलकर सुनीता पटेल (Sunita Patel) रख लिया है तथा अब मुझे (Sunita) के स्थान पर सुनीता पटेल (Sunita Patel) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सुनीता)

(SUNITA)

(832-बी.)

नया नाम :

(सुनीता पटेल)

(SUNITAPATEL)

पति-श्री भगवानसिंह पटेल,
पता-ग्राम भुतिया बुजुर्ग तह. टोंकखुर्द,
जिला देवास (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम व शासन अंतर्गत जारी परिचय-पत्र, आधारकार्ड व अन्य संबंधित दस्तावेजों में बिंदु गोंड तथा पति का नाम रमाकांत गोंड हैं अथवा दर्ज है, संबंधित मेरे दस्तावेजों में गोंड शब्द लिपिबद्ध हैं वह सरनेम हैं. अब मैंने भी अपना सरनेम गोंड से शाह परिवर्तन कर लिया है तथा अब मैं, परिवर्तित सरनेम के अनुसार बिंदु शाह पत्नी श्री रमाकांत शाह के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगी.

पुराना नाम :

(बिंदु गोंड)

(826-बी.)

नया नाम :

(बिंदु शाह)

पति-श्री रमाकांत शाह,
निवासी-बी-396, इन्द्रविहार कॉलोनी,
एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी शैक्षणिक अंकसूची, विधिक दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय-पत्र, पेन कार्ड व आधारकार्ड में ओम गोंड तथा पिता का नाम रमाकांत गोंड है अथवा दर्ज है, संबंधित मेरे दस्तावेजों में गोंड शब्द लिपिबद्ध हैं वह सरनेम है. मैंने भी अपना सरनेम गोंड से शाह परिवर्तन कर लिया है तथा अब मैं, परिवर्तित सरनेम के अनुसार ओम शाह पुत्र श्री रमाकांत शाह के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :
(ओम गोंड)

(827-बी.)

नया नाम :
(ओम शाह)

आ.-श्री रमाकांत शाह,
निवासी-बी-396, इन्द्रविहार कॉलोनी,
एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी शैक्षणिक अंकसूची, विधिक दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय-पत्र, आधारकार्ड में संदीप गोंड तथा पिता का नाम रमाकांत गोंड है अथवा दर्ज है, संबंधित मेरे दस्तावेजों में गोंड शब्द लिपिबद्ध हैं वह सरनेम है. मैंने भी अपना सरनेम गोंड से शाह परिवर्तन कर लिया है तथा अब मैं, परिवर्तित सरनेम के अनुसार संदीप शाह पुत्र श्री रमाकांत शाह के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :
(संदीप गोंड)

(824-बी.)

नया नाम :
(संदीप शाह)

आ.-श्री रमाकांत शाह,
निवासी-बी-396, इन्द्रविहार कॉलोनी,
एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी शैक्षणिक अंकसूची, विधिक दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र, व आधारकार्ड में अरूण गोंड तथा पिता का नाम रमाकांत गोंड है अथवा दर्ज है, संबंधित मेरे दस्तावेजों में गोंड शब्द लिपिबद्ध हैं वह सरनेम है. मैंने भी अपना सरनेम गोंड से शाह परिवर्तन कर लिया है तथा अब मैं, परिवर्तित सरनेम के अनुसार अरूण शाह पुत्र श्री रमाकांत शाह के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :
(अरूण गोंड)

(825-बी.)

नया नाम :
(अरूण शाह)

आ.-श्री रमाकांत शाह,
निवासी-बी-396, इन्द्रविहार कॉलोनी,
एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम गुणबाला जैन पिता श्री शांतिलाल जैन निवासी- 585 स्नेह नगर, इन्दौर म.प्र. था. जो कि विवाह पश्चात् सो परिवर्तित होकर श्रीमति नमिता जैन पति श्री मनोज जैन निवासी- सी.एच. 255, स्कीम नंबर 74 सी विजय नगर, इन्दौर म.प्र. हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(गुणबाला जैन)
पिता-श्री शांतिलाल जैन,

(840-बी.)

नया नाम :
(नमिता जैन)

पति-श्री मनोज जैन,
पता- सी.एच. 255, स्कीम नंबर 74-सी,
विजय नगर, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम संजीवनी चावला पत्नी श्री गोपाल चावला निवासी- ऋषि नगर एकता कॉलोनी कारबाई मोहल्ला, हेम सिंह की परेड, लश्कर ग्वालियर है. विवाह पूर्व मेरा नाम भारती मोटवानी पुत्री श्री कमल किशोर मोटवानी था. मेरा घर

का नाम संजू चावला उर्फ भारती मोटवानी पत्नी गोपाल चावला पुत्री श्री कमल किशोर मोटवानी लिख गया है जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम संजीवनी चावला पत्नी गोपाल चावला पुत्री कमल किशोर मोटवानी दर्ज है. अतः मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(संजू चावला उर्फ भारती मोटवानी)

(830-बी.)

नया नाम :

(संजीवनी चावला)

पत्नि-गोपाल चावला,
पुत्री-श्री कमल किशोर मोटवानी.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम सुरेन्द्र चौरसिया पता वार्ड-10 मेन रोड पटेल मेडिकल के पीछे, गणेशगंज होशंगाबाद है. मेरे पुत्र स्नेहिल की अंकसूची में मेरा नाम सुरेन्द्र कुमार चौरसिया अंकित है. उक्त दोनों नाम मेरी ही हैं. अब मैं, अपना सुरेन्द्र चौरसिया करना चाहता हूँ. मुझे भविष्य में सुरेन्द्र चौरसिया के नाम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा-लिखा जाये.

पुराना नाम :

(सुरेन्द्र कुमार चौरसिया)

(844-बी.)

नया नाम :

(सुरेन्द्र चौरसिया)

पता- वार्ड 10 मेन रोड, पटेल मेडिकल के पीछे,
गणेशगंज होशंगाबाद (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे अभी सुशील कुमार गुप्ता के नाम से जाना जाता है जबकि मेरा वास्तविक नाम पवन कुमार गोयल है. यह है कि पवन कुमार गोयल व सुशील कुमार गुप्ता उक्त दोनों नाम मेरे हैं. अब मुझे पवन कुमार गोयल के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सुशील कुमार गुप्ता)

(846-बी.)

नया नाम :

(पवन कुमार गोयल)

निवासी- काशी नरेश की गली,
किलागेट, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में मुझे सिकंदर पटेल उर्फ कुदरत पटेल दोनों नामों से जाना एवं पहचाना जाता हूँ. अब भविष्य में मैं, अपना नाम सिर्फ सिकंदर पटेल रखना चाहता हूँ. अतः भविष्य में मुझे सिर्फ सिकंदर पटेल नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सिकंदर पटेल उर्फ कुदरत पटेल)

(835-बी.)

नया नाम :

(सिकंदर पटेल)

पिता-लोगा पटेल,
निवासी-ग्राम हासलपुर, तहसील महू,
जिला इन्दौर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनील शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा, उम्र-42 वर्ष, व्यवसाय-शासकीय सर्विस, निवासी-महावीरपुरा, मैन रोड, जिला मुरैना (म.प्र.) हूँ. मैं, शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ. कि मैं, शपथकर्ता उपरोक्त पते का मूल निवासी हूँ. शपथकर्ता घोषणा करता है कि शपथकर्ता की पुत्री का नाम शानवी शर्मा है जो कि उसके आधारकार्ड में अंकित है. लेकिन शपथकर्ता के सर्विस दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम संजीवनी शर्मा अंकित हो गया है. शपथकर्ता अपने सर्विस दस्तावेजों में अपनी पुत्री का नाम संजीवनी शर्मा के स्थान पर शानवी शर्मा करवाना चाहता है.

सुनील शर्मा,

पुत्र-श्री रामअवतार शर्मा,
निवासी-महावीरपुरा, मैन रोड,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(837-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम महेन्द्र मेहसन पुत्र श्री नेमालाल मेहसन, उम्र लगभग 28 वर्ष होकर, निवासी ग्राम व पोस्ट रूपगढ़, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.) था. जो कि अब वर्तमान में बदलकर महेन्द्र सिंह मेहसन पुत्र श्री नेमालाल मेहसन हो गया है. अतः मुझे अब भविष्य में महेन्द्र सिंह मेहसन नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(महेन्द्र मेहसन)

निवासी-ग्राम व पोस्ट रूपगढ़,
तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.).

(839-बी.)

नया नाम :

(महेन्द्र सिंह मेहसन)

वर्तमान पता-व्यवहार न्यायाधीन वर्ग-2,
जिला एवं सत्र न्यायालय टीकमगढ़ (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. महावीर कॉन्ट्रेक्टर जेरोन रोड पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी (म.प्र.) में दिनांक 11-12-2020 से अरविन्द कुमार गुप्ता आत्मज श्री घनश्यामदास गुप्ता भागीदार हो गए हैं.

फर्म-मे. महावीर कॉन्ट्रेक्टर,

रोशन जैन,

(पार्टनर).

(847-बी.)

आम सूचना

सर्वजन एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म सम्पत ऑटोमोबाइल्स जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0187/20 व पंजीयन दिनांक 26-11-2020 है तथा फर्म का पंजीकृत पता नेहरू मार्केट बी.जे.पी. कार्यालय के पास ए.बी. रोड इंदौर है जिसमें पंजीयन के समय दो भागीदार (1) श्री राधेश्याम पटेल पिता स्व. रामेश्वर जी पटेल, (2) श्री सुधांशु पटेल पिता श्री राधेश्यामजी पटेल थे. दिनांक 01-04-2018 को फर्म में दो नए भागीदारों श्री बहादुर सिंह बुंदेला पिता श्री मोहन सिंह बुंदेला एवं श्री मुकुलदीप सिंह बुंदेला पिता श्री बहादुर सिंह बुंदेला ने फर्म में साझेदार होने की इच्छा प्रकट की जिसे फर्म के शेष भागीदारों ने स्वीकार कर लिया. तत्पश्चात् दिनांक 31-07-2019 को फर्म के 3 साझेदारों (1) श्री राधेश्याम पटेल पिता स्व. रामेश्वर जी पटेल, (2) श्री सुधांशु पटेल पिता श्री राधेश्यामजी पटेल, (3) श्री बहादुर सिंह बुंदेला पिता श्री मोहन सिंह बुंदेला स्वेच्छा से रिटायर हो गए एवं दिनांक 01-08-2019 को फर्म में एक नई भागीदार श्रीमती बबिता बुंदेला पति श्री बहादुर सिंह बुंदेला शामिल हो गई इस तरह वर्तमान में फर्म में 2 भागीदार शेष हैं जो इस प्रकार हैं:- (1) श्री मुकुलदीप सिंह बुंदेला पिता श्री बहादुर सिंह बुंदेला, (2) श्रीमती बबिता बुंदेला पति श्री बहादुर सिंह बुंदेला जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

फर्म-सम्पत ऑटोमोबाइल्स,

मुकुलदीप सिंह बुंदेला,

(भागीदार)

(848-बी.)

पता- गणपति मार्ग नौगांव धार.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बाबजी फायर वर्क्स, 12/2/1, जूना सोमवारिया, वीर दुर्गादास मार्ग, उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/0050/20 दिनांक 25-09-2020 है.

उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 30-11-2020 से जो परिवर्तन हुए हैं उसकी विगत निम्नानुसार है:-

(1) उक्त फर्म में भागीदारों का परिवर्तन:-

(अ) उक्त भागीदारी फर्म को दिनांक 30-11-2020 तक निम्नलिखित भागीदारगण संचालन कर रहे थे-

1. शब्बीर हुसैन नवाब पिता मुश्ताक अली नवाब
2. मुश्ताक अली नवाब पिता अब्दुल अली नवाब
3. इबराहीम बंदूकवाला पिता तुराब अली बंदूकवाला

(ब) दिनांक 30-11-2020 को फर्म के भागीदार मुश्ताक अली नवाब पिता अब्दुल अली नवाब पता 40, छत्री चौक, उज्जैन का इंतकाल हो गया है.

(स) दिनांक 30-11-2020 से फर्म के भागीदार इब्राहिम बंदूकवाला पिता तुराब अली बंदूकवाला पता नई सडक, उज्जैन अपनी स्वेच्छा से उक्त भागीदार फर्म से पृथक हो गये हैं।

(द) दिनांक 01-12-2020 से फर्म से निम्नलिखित नये भागीदारान फर्म में शामिल हुए हैं:-

1. नाजिम नवाब पिता शब्बीर हुसैन नवाब, 40, छत्री चौक, उज्जैन
2. हुसैन नवाब पिता शब्बीर हुसैन नवाब, 40, छत्री चौक, उज्जैन

(2) व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन:-

दिनांक 01-12-2020 से फर्म का मुख्य स्थान परिवर्तित कर दिया गया है दुकान व गोदाम अब भूमि सर्वे नं. 30, 31, 36 ग्राम रातड़िया, तेहसिल घटिया, जिला उज्जैन पर हो गया है एवं अतिरिक्त स्थान 12/2/1, जूना सोमवारिया, वीर दुर्गादास मार्ग, उज्जैन पर (ऑफिस) कर दिया गया है।

अतः आज दिनांक 01-12-2020 से फर्म मेसर्स बाबजी फायर वर्क्स सर्वे नं. 30, 31, 36 ग्राम रातड़िया, तेहसिल घटिया, जिला उज्जैन (दुकान एवं गोदाम) एवं 12/2/1, जूना सोमवारिया, वीर दुर्गादास मार्ग, उज्जैन (ऑफिस पता) में निम्नलिखित भागीदार हैं:-

1. शब्बीर हुसैन नवाब पिता मुफ्ताक अली नवाब
2. नाजिम नवाब पिता शब्बीर हुसैन नवाब
3. हुसैन नवाब पिता शब्बीर हुसैन नवाब

भागीदारी फर्म मेसर्स बाबजी फायर वर्क्स में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो।

(शब्बीर हुसैन नवाब)- भागीदार

फर्म मेसर्स बाबजी फायर वर्क्स, सर्वे नं. 30, 31, 36 ग्राम रातड़िया, तेहसिल घटिया, जिला उज्जैन.

फर्म-मैसर्स बाबजी फायर वर्क्स,

1. **SHABBIIR HUSAIN NAWAB,**
S/o Mushtaq Ali Nawab,
SIGNATURE OF CONTINUING
PARTNER

3. **HUSAIN NAWAB,**
S/o Shabbir Husain Nawab,
SIGNATURE OF INCOMING
PARTNER

2. **NAZIM NAWAB,**
S/o Shabbir Husain Nawab,
SIGNATURE OF INCOMING
PARTNER

4. **IBRAHIM BANDOOWKALA,**
S/o Turab Ali Bandoowkala,
SIGNATURE OF RETIRING
PARTNER

(841-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म श्री नाथ जी कैमिकल्स पंजीयन क्र. 01/01/01/00129/14 सन् 2014-15, प्लॉट नं. 97 सेक्टर-ए, इण्डस्ट्रीज एरिया मंडीदीप में स्थित है। फर्म में पार्टनर परिमल गुप्ता पिता योगेश्वर कुमार गुप्ता दिनांक 15-02-2021 से भागीदारों से पृथक हो रहे हैं, उक्त दिनांक से निर्मल गुप्ता पति योगेश्वर गुप्ता नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही है।

फर्म-श्रीनाथ कैमिकल्स,

योगेश्वर कुमार गुप्ता,

(भागीदार).

(856-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S BUILDSKILL CONSULTANCY जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0040/16 दिनांक 03-03-2016 पता G-7, Goyal Niketan, M.P. Nagar, Zone-1 Bhopal M.P. है। जो भारतीय भागीदार अधिनियम 1932 के अंतर्गत रजिस्टर्ड फर्म है। उक्त फर्म के पार्टनर रविंद्र कुमार दुबे पिता श्री रामदयाल दुबे एवं प्रशांत व्यास पिता श्री रमाकांत व्यास फर्म की भागीदारी से दिनांक 24-01-2020 को रिटायर हो गये हैं। उक्त फर्म में नये भागीदार के रूप प्रत्युश विक्रम सिंह पिता श्री इंद्रभान सिंह सम्मिलित हो रहे हैं।

आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

Firm-M/S BUILDSKILL CONSULTANCY.,

पारिजात विक्रम सिंह,

(भागीदार).

G-7, Goyal Niketan, M.P. Nagar,

Zone-1 Bhopal (M.P).

(854-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राम हाईटेक हॉस्पिटल जो कि 64, पत्रकार कॉलोनी, गुना में स्थित है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02/40/01/0208/17, दिनांक 14-11-2017 है। जिसमें दिनांक 05-03-2021 को भागीदार श्री राजकुमार रघुवंशी एवं भागीदार नितिन रघुवंशी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 05-03-2021 को श्री डॉ. युधिष्ठिर सिंह रघुवंशी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

फर्म-मैसर्स राम हाईटेक हॉस्पिटल,

सुनीता रघुवंशी,

(पार्टनर)

64, पत्रकार कॉलोनी, गुना.

(821-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स अनिल कंस्ट्रक्शन कम्पनी कृष्णपुरम कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.) मध्यप्रदेश फर्म व सोसायटी, ग्वालियर में क्र. ए./आर.जी./फर्म 47/2004-05 से दिनांक 28-09-2004 से पंजीयत है। जिसमें दिनांक 10-12-2020 को भागीदार श्री प्रकाश चंद जैन, निवासी जैन सदन कृष्णपुरम कॉलोनी, शिवपुरी का स्वर्गवास हो जाने से फर्म से पृथक् हो गए है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मेसर्स-अनिल कंस्ट्रक्शन कम्पनी,

पवन कुमार जैन,

(पार्टनर)

कृष्णपुरम कॉलोनी,

शिवपुरी.

(823-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to publicly notify that, following persons have retired from the firm M/s Unilube Petrochemicals having registration no. 84/1974 Vidisha vide amended partnership deed executed on 1st February 2021 amongst Shri Anuj Bhanu Sharma S/o Shri Pratap Bhanu Sharma R/o Shri Ramnagar Vidisha and Shri Abhishek Bhanu Sharma S/o Shri C. B, Sharma R/o Shri Ramnagar Vidisha. The retiring partners are Shri Jayant Gaur S/o Dr. A.C. Gaur R/o Shri Ramnagar Vidisha, Shri Pratap Bhanu Sharma S/o Shri Krishan Gopal Sharma R/o Shri Ramnagar Vidisha, Shri Radheshyam Sharma S/o Shri Chironjilal Sharma, R/o Khariphatak Road Vidisha, Shri Mayank Gaur, S/o Dr. A.C. Gaur R/o Shri Ramnagar Vidisha, Smt. Basanti Sharma W/o Shri Krishan Gopal Sharma, R/o Shri Ramnagar, Vidisha & Smt. Chandrakanta Sharma W/o Ramesh Sharma R/o Khariphatak Road, Vidisha who have retired from the partnership firm " M/s Unilube Petrochemicals" vide partnership retirement deed executed with mutual consent as mentioned above.

Shri Anuj Bhanu Sharma S/o Shri Pratap Bhanu Sharma R/o Shri Ramnagar Vidisha, Shri Abhishek Bhanu Sharma, R/o Shri Ramnagar Vidisha, the existing partners shall continue to operate business under the name and style of M/s Unilube Petrochemicals as consented by the retired partners, All accounts have been settled and representations taken that assets & liabilities other than those noted shall not be entertained by the aforementioned firm, However, if any person(s) has any liability or objection or any other issue that they deem important to bring to the notice of the new management of M/s Unilube Petrochemicals, they may do so within seven days by directly contacting the undersigned in person or otherwise, No claim or issue or objection shall be entertained after this date.

For- M/s. Unilube Petrochemicals,

ANUJ BHANU SHARMA,

(Partner)

22, Shri Ramnagar, Vidisha.

(819-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, भोपाल (म.प्र.)

प्र.क्र.03/बी-113/2020-21.

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा(2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, टी. टी. नगर, भोपाल जिले के समक्ष.

चूंकि श्री विजय कुमार दास न्यासी एवं प्रबंधक, निवासी हिन्दी मेल भवन, नेशनल प्रेस एरिया, लिंक रोड, क्रमांक-03, प्लॉट क्रमांक-03, पत्रकार कॉलोनी के पास, भोपाल म.प्र. ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 04 मार्च, 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा.

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट टी. टी. नगर, भोपाल का सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब, (न्यास) भोपाल लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10 अप्रैल, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है. और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब, (न्यास) भोपाल.
(पत्र व्यवहार का पता-हिन्दी मेल भवन, नेशनल प्रेस एरिया, लिंक रोड
क्रमांक-03, प्लॉट क्र.03, पत्रकार कॉलोनी के पास, भोपाल म.प्र.). |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निल. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 4900/- |

आज दिनांक 10 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(193)

संजय कुमार श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, एम. पी. नगर वृत्त, जिला-भोपाल

प्र.क्र.01/बी-113/2020-21.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

आवेदक मुख्य न्यासी श्री सुधीर अग्रवाल पिता स्व. श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, निवासी ई-1, 79, अरेरा कॉलोनी, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "दि भास्कर फाउण्डेशन" द्वारा का सदन 6 प्रेस काम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर भोपाल का पंजीयन करने हेतु निवेदन किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 09 अप्रैल, 2021 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो एवं कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञापित के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	: “दि भास्कर फाउण्डेशन”.
कार्यालय का पता	: द्वारका सदन 6 प्रेस काम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल 462011.
अचल सम्पत्ति	: निरंक
चल सम्पत्ति	: 10,000.00.

(194)

विनीत तिवारी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास अनुभाग, राऊ-इन्दौर, जिला-इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 17 फरवरी, 2021

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./.../री.राऊ/2021.—साई विकास सेवा समिति परमार्थिक ट्रस्ट, पता-161-162, अहिरखेड़ी, जिला इन्दौर की ओर से रामकिशोर पिता रामनिवास वर्मा, पता 343, द्वारकापुरी, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-04 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	: साई विकास सेवा समिति परमार्थिक ट्रस्ट.
पता	: कार्यालय 161-162, अहिरखेड़ी, जिला इन्दौर
अचल सम्पत्ति	: निरंक.
चल सम्पत्ति	: रु. 2100/-

आज दिनांक 17 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(190)

प्रतुल चन्द्र सिन्हा,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इन्दौर क्षेत्र, जिला-इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./ /री.-1/2021.—“राष्ट्रीय जैन श्वेताम्बर फाउण्डेशन ट्रस्ट, पता-जी-1, मंगलम हाईट्स, 19/16, ई विश्राम कॉलोनी वाय. एन. रोड, इन्दौर, म.प्र. की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-04 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

“राष्ट्रीय जैन श्वेताम्बर फाउण्डेशन ट्रस्ट, पता-जी-1, मंगलम हाईटस, 19/16, ई विश्राम कॉलोनी वाय. एन. रोड, इन्दौर (म.प्र.).

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 22 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अंशुल खरे,
रजिस्ट्रार.

(191)

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, (मल्हारगंज) इन्दौर

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री अरूण कुमार धायगुडे पिता श्री सदाशिव राव धायगुडे, निवासी 20/1, जोशी मोहल्ला, छत्रीपुरा पुलिस लाईन के पीछे इन्दौर, द्वारा “श्री एलुम्बा (रेणुका) माता सार्वजनिक मंदिर संस्थान न्यास” कार्यालय पता-20/1, जोशी मोहल्ला, छत्रीपुरा, पुलिस लाईन के पीछे, इन्दौर का म.प्र. का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : “श्री एलुम्बा (रेणुका) माता सार्वजनिक मंदिर संस्थान न्यास”.

पता : कार्यालय पता-20/1, जोशी मोहल्ला, छत्रीपुरा, पुलिस लाईन के पीछे, इन्दौर

चल सम्पत्ति : चल-अचल सम्पत्ति नहीं है. मात्र रु. 5001/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार एक मात्र) के फंड से न्यास शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

राजेश राठौड़,
रजिस्ट्रार.

(192)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, परगना-गुना

प्र.क्र.01/बी-113/2020-21.

गुना, दिनांक 12 मार्च, 2021

प्रारूप क्र.-4

[देखिये नियम-7(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, परगना गुना, जिला गुना के समक्ष.

यतः कि न्यासधारी श्री अमित बीसी सौगानी द्वारा “सीसीआई यूनिटी पार्क मेनेजमेंट ट्रस्ट” मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 12 अप्रैल, 2021 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता	:	“सीसीआई यूनिटी पार्क मेनेजमेंट ट्रस्ट”
चल सम्पत्ति	:	-
अचल सम्पत्ति	:	-

(195)

अंकिता जैन,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, रजिस्ट्रार लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी

प्र.क्र...../2020-21/बी-113.

शिवपुरी, दिनांक 12 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 के उपनियम-1 के तहत]

चूंकि “श्री बांकड़े हनुमान सेवा संस्थान पब्लिक ट्रस्ट” ग्राम कोटा, जिला शिवपुरी सर्व-साधारण के हितार्थ धार्मिक, सामाजिक वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण सहित स्वास्थ्य सेवाओं तथा गौशाला विकास संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु आवेदक श्री गिर्राज महाराज, निवासी ग्राम कोटा, तहसील शिवपुरी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त सम्पत्ति या न्यास में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे. जिसका वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास शिवपुरी लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 15 अप्रैल, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा(1) में यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतएव एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 15 अप्रैल, 2021 को विचार में लिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखते हो और कोई आपत्तियां सुझाव देना चाहते हो तो लिखित में दो-दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अंदर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपरोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	:	“श्री बांकड़े हनुमान सेवा संस्थान पब्लिक ट्रस्ट” शिवपुरी म.प्र.
पता	:	श्री बांकड़े हनुमान सिद्ध क्षेत्र ग्राम कोटा, तहसील शिवपुरी (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	मुखुट चांदी 1 वजन 500 ग्राम, कुण्डल 2 चांदी 2 वजन 100 ग्राम, चांदी के बर्तन कुल वजन 250 ग्राम, फर्स 5, बाल्टी 2 पीतल की
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम कोटा स्थित कुल रकवा 4 बीघा में मंदिर श्री बांकड़े हनुमान एवं शिवजी महाराज, दुकानें 3, 1 यज्ञ शाला, धर्मशाला 2 कमरे सत्संग हॉल, 1 आचार्य निवास 1, भोजन शाला 1, संत निवास 1.

(196)

अरविन्द बाजपेयी,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड जावरा, जिला रतलाम

क्र.963/रीडर-1/21.

जावरा, दिनांक 26 फरवरी, 2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक सुशील पिता मोहनलाल सकलेचा, निवासी 10, सदर बाजार, बड़ावदा द्वारा आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-4 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के तहत प्रस्तुत कर श्री आदिनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट बड़ावदा धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास धार्मिक सामाजिक ट्रस्ट पंजीयन एवं नवीन कार्यकारिणी गठित करने का निवेदन किया है।

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

1. न्यास का पूरा नाम : श्री आदिनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट बड़ावदा.
2. चल सम्पत्ति का विवरण : भण्डार 3, घण्टी 01 (पीतल), आरती 5 (पीतल), चांदी की आंगी का वजन 20.5 कि.ग्रा. अनुमानित कीमत 13,00,000/-
3. अचल सम्पत्ति का विवरण : भगवान आदेश्वर का पुराना मन्दिर जो लगभग 8000 वर्गफीट होकर यह मन्दिर काफी पुराना बना हुआ है और जीर्णशीर्ण अवस्था में है. इसके अलावा कोई सम्पत्ति नहीं है.

राहुल धोटे,
अनुविभागीय अधिकारी.

(197)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर**

सीहोर, दिनांक 02 मार्च, 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/346.—मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी में अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

मातृ शक्ति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इछावर, तहसील इछावर पंजीयन क्र. 1477, दिनांक 29 मई, 2010 इसके लेखा वर्ष 2019-20 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार मातृ शक्ति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इछावर में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत मातृ शक्ति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इछावर को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए मातृ शक्ति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इछावर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 02 मार्च, 2021 को जारी किया गया.

(155)

सीहोर, दिनांक 02 मार्च, 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/347.—मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी में अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

मध्यप्रदेश विधुत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., सीहोर, तहसील सीहोर पंजीयन क्र. 1109, दिनांक 28 जनवरी, 2003 इसके लेखा वर्ष 2019-20 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार मध्यप्रदेश विधुत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., सीहोर में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश विधुत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., सीहोर को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए मध्यप्रदेश विधुत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., सीहोर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 02 मार्च, 2021 को जारी किया गया.

(156)

सीहोर, दिनांक 02, 03 मार्च, 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/348:-मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी में अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

फेयरडील क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., आष्टा तहसील आष्टा पंजीयन क्र. 1646, दिनांक 29 सितम्बर, 2012 इसके लेखा वर्ष 2019-20 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार फेयरडील क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., आष्टा तहसील आष्टा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत फेयरडील क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., आष्टा को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए फेयरडील क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., आष्टा को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 02 मार्च, 2021 को जारी किया गया.

(157)

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 17 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/110.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथरौही, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1273, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा परिसमापक की नियुक्त की गई थी. तदोपरांत संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/652, दिनांक 29 जुलाई, 2015 के द्वारा श्री एम. के. आगाशे, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाकर परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये. परिसमापक श्री आगाशे द्वारा निर्देशानुरूप संस्था की परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशांसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्द्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(158)

सीधी, दिनांक 17 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/114.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहरी, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1424, दिनांक 18 मई, 2016 जो कि पूर्व में स्वायत्त सहकारिता अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत हुई थी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1105, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के द्वारा अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. के. सौंधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाकर परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये. परिसमापक श्री सौंधिया द्वारा निर्देशानुरूप संस्था की परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(162)

सीधी, दिनांक 17 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/115.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चितांग, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1430, दिनांक 18 मई, 2016 जो कि पूर्व में स्वायत्त सहकारिता अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत हुई थी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1105, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के द्वारा अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. के. सौंधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाकर परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये. परिसमापक श्री सौंधिया द्वारा निर्देशानुरूप संस्था की परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(163)

सीधी, दिनांक 17 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/116.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवपुर, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1434, दिनांक 18 मई, 2016 जो कि पूर्व में स्वायत्त सहकारिता अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत हुई थी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1105, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के द्वारा अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. के. सौंधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाकर परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये. परिसमापक श्री सौंधिया द्वारा निर्देशानुरूप संस्था की परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(164)

सीधी, दिनांक 17 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/120.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पैपखरा, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1343, दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा परिसमापक की नियुक्त की गई थी. तदोपरांत संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/651, दिनांक 29 जुलाई, 2015 के द्वारा श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाकर परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये. परिसमापक श्री उईके द्वारा निर्देशानुरूप संस्था की परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(168)

सीधी, दिनांक 17 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/121.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मरसरहा, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 859, दिनांक 10 जुलाई, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/498, दिनांक 14 अगस्त, 2013 के धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री बालकृष्ण सौंधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करते हुये परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये. परिसमापक श्री सौंधिया द्वारा निर्देशानुरूप संस्था की परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169)

सीधी, दिनांक 17 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/122.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिहौलिया, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1396, दिनांक 18 मई, 2016 जो कि पूर्व में स्वायत्त सहकारिता अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत हुई थी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1105, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के द्वारा अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री बालकृष्ण सौंधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाकर परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये. परिसमापक श्री सौंधिया द्वारा निर्देशानुरूप संस्था की परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

वी. के. पाण्डेय,
उप-रजिस्ट्रार.

(170)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/451.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2034, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 द्वारा भारतीय साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1083, दिनांक 17 जून, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमति स्वर्णलता दलाल, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(171)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/452.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2825, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेडिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 2163, दिनांक 20 अगस्त, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री वी. डी. जडे को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(172)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/453.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2238, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कड़ला, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक.....को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(173)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/454.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री महावीर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडावदा जिसका पंजीयन क्रमांक 2222, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. बी. कनकने को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(174)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/455.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 744, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा अटल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडावदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2228, दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(175)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/456.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1673, दिनांक 23 जुलाई, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गजनीखेडी, जिसका पंजीयन क्रमांक 538, दिनांक 16 दिसम्बर, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(176)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/459.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2358, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरला, जिसका पंजीयन क्रमांक 2265, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री वी. डी. जडे, (S.A.) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(177)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/460.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3561, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोलासा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2067, दिनांक 27 मार्च, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एल. पटेल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(178)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/461.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 269, दिनांक 18 फरवरी, 2019 द्वारा महाराष्ट्र साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा जिसका पंजीयन क्रमांक 1450, दिनांक 01 अप्रैल, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(179)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/462.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2825, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुनईरतालसा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1998, दिनांक 01 जनवरी, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बोहरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(180)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/463.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1147, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा विकास महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सण्डावदा जिसका पंजीयन क्रमांक 1631, दिनांक 10 फरवरी, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(181)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/464.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3561, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दारुदखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 2255, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(182)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/465.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2358, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिरोल्या, जिसका पंजीयन क्रमांक 2264, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री वी. डी. जडे, (S.A.) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(183)

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/466.—प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भाटपचलाना जिसका पंजीयन क्रमांक 120, दिनांक 23 अगस्त, 1986 आदेश क्रमांक 1714, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 से परिसमापन में लाया जाकर श्री बी.जी. व्यास, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण अंकेक्षण नहीं कराया जाना था।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी को पुर्नजीवित करना आवश्यक प्रतीत होते हैं। अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./दिनांक को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अंतर्गत प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भाटपचलाना जिसका पंजीयन क्रमांक 120, दिनांक 23 अगस्त, 1986 को पुर्नजीवित करता हूँ। साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री बी.जी. व्यास, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ तथा संस्था के प्रशासक द्वारा जिस दिनांक से अंकेक्षण नहीं करवाया गया है उस तिथि से अंकेक्षण करवाया जाये।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(184)

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप-आयुक्त एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 10 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/167.—खदान उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिला मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक/AR/MNA/342, दिनांक 10 अप्रैल, 1972 है को आदेश क्रमांक./परि./1201 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की निष्क्रियता व अकार्यशीलता थी।

संस्था के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अपने पुर्नजीवित प्रस्ताव दिनांक 05 फरवरी, 2021 में संस्था के सदस्यों द्वारा आयोजित आमसभा का कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है। जिसके द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने की कार्ययोजना अनुमोदित कर संस्था को पुर्नजीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों एवं सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को पुर्नजीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश 1201, दिनांक 22 जुलाई, 2014 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अंतर्गत

खदान उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिला मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक AR/MNA/342, दिनांक 10 अप्रैल, 1972 है को पुर्नजीवित करती हूँ तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार कमेटी नामांकित करती हूँ. कमेटी संस्था का निर्वाचन मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 के नियम 49 ई के तहत 03 माह के अंदर करावें.

1. श्री हमीर सिंह अध्यक्ष
2. श्री प्रहलाद उपाध्यक्ष
3. श्री परिमाल सिंह संचालक
4. श्री सिकन्दर सिंह संचालक
5. श्री रामेश्वर सिंह संचालक
6. श्री मानसिंह संचालक
7. श्रीमती शंकुतलादेवी संचालक
8. श्रीमती आरती देवी संचालक
9. श्री पंचम सिंह संचालक
10. श्री गुमान सिंह संचालक
11. श्री

यह आदेश आज दिनांक 10 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(185)

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 08 मार्च, 2021

संशोधित आदेश

क्र./परि./2021/270:—पूर्व प्रसारित परिसमापन में नीचे दी गयी सारणी अनुसार संशोधन करते हुए श्री पुरूषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक का स्वर्गवास हो जाने से उनके स्थान पर श्री हेमन्त कुमार शाक्यवार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	विवेकानंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	301/05-10-1983
2.	गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	300/31-12-1982
3.	प्राथ. अनुसूचित जनजाति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़.	821/06-08-2002
4.	पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	455/27-12-1988
5.	महाराष्ट्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	313/25-02-1984
6.	शिक्षक आवास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	220/22-09-1980

परिसमापक तीन माह की अवधि में परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

(186)

जी.पी. सोनकुसरे,
उप-पंजीयक

कार्यालय, परिसमापक उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन

दिनांक 02 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./01.—उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगोन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को

परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	महादेव साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन.	1467परि./2020 11-11-2020	1928/10-03-2014	खरगोन	संगीता कपिल, उप-अंकेक्षक.
2.	साई भोला साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन.	1468परि./2020 11-11-2020	1929/10-03-2014	खरगोन	संगीता कपिल, उप-अंकेक्षक.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से दोपहर 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यावाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(187)

संगीता कपिल,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 02 मार्च, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/क्यू-1—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेवाली	815/25-05-1992	839/30-06-2009 संशो 49/7-01-2020
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुलथान	363/12-08-1971	839/30-06-2009 संशो 49/7-01-2020

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2021 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(188)

अशोक कुमार गुप्ता,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 24 फरवरी, 2021

कारण बताओ सूचना पत्र

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,
प्रशासक/प्रबंधक
दीनदयाल अंत्योदय औद्योगिक सहकारी समिति,
मर्या., जिला होशंगाबाद.

क्र./परि./2021/367.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दीनदयाल अंत्योदय औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद जिला होशंगाबाद के निर्वाचन अधिकारी श्री डी.पी. पाल, उप-अंकेक्षक द्वारा दिनांक 21-09-2020 को कार्यालय में पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें श्री पाल द्वारा संस्था के द्वारा निर्वाचन कार्य नहीं कराने एवं निर्वाचन कार्य में कोई रूचि नहीं लेने से दीनदयाल अंत्योदय औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद को परिसमापन में लाने हेतु अनुशंसा की गई है। अतः निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार निम्न कारणों से-

1. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रूचि नहीं ली गई है।
2. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रूचि नहीं है। अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी.एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है। संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(189)

बी. एस. परते,
डिप्टी रजिस्ट्रार.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2021-चैत्र-05, भाके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 17 फरवरी, 2021

संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है।

1. **मौसम एवं वर्षा**—प्रायः राज्य में मौसम मेवाळादित रहा. राज्य के कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
2. **प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव** :-जुताई बन्द है.
3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव** :-बोनी बन्द है.
4. **धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव** :-रोपाई बन्द है.
5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव** :-कोई प्रभाव प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव** :-कोई प्रभाव नहीं.
7. **अन्य असामयक घटना से क्षति** :-कोई क्षति नहीं.
8. **फसल स्थिति** :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **सिंचाई**:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.
10. **पशुओं की स्थिति**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. **चारा** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. **बीज**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
18.	अनूपपुर :		गेहूँ	चना	अलसी	अधिक	2%	सुधरी हुई	2%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जैतहरी	51.0	मटर	राई-सरसों	मसूर	सामान्य	..	सामान्य	2%
		अनूपपुर	78.4
		कोतमा	48.0
		पुष्पराजगढ़	69.0
19.	उमरिया :		.. पर्याप्त	गेहूँ	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बांधवगढ़	10.4	चना
		पाली	21.2	राई-सरसों
		चंदिया	मटर
		नौरोजाबाद	मसूर
		मानपुर	9.5
20.	सीधी :		अलसी	समान	..	सामान्य	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गोपदवनास	राई-सरसों	समान	..	सामान्य
		सिंहावल	चना	समान	..	सामान्य
		मझौली	मसूर	समान	..	सामान्य
		कुसमी	गेहूँ	समान	..	सामान्य
		चुरहट	जौ	समान	..	समान
		बहरी
		रामपुरनैकिन
21.	सिंगरौली:		तुअर	अधिक	2%	बिगड़ी	50%	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		चितरंगी	गेहूँ	समान	..	सुधरी हुई	5%
		देवसर	चना	अधिक	2%	सुधरी हुई	5%
		सरई	जौ	अधिक	2%	सुधरी हुई	2%
		माडा	राई-सरसों	समान	..	सुधरी हुई	2%
		सिंगरौली	अलसी	सामान्य	..	सामान्य

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
52.	बालाघाट :		गेहूँ	सामान्य	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		चना	समान	..	समान
	लाँजी	
	किरनापुर	
	बैहर	
	वारासिवनी	
	कटंगी	
	लालबर्वा	
	तिरोडी	
	परसवाड़ा	
	बिरसा	
	खैरलाँजी	

(198)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.